प्रेस नोट **05/03/2023**

मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर शातिर अपराधी (आई0आर0 गैंग का लीडर) अनुज कन्नौजिया की पत्नी धमकी मामले में गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 31/23 धारा 386, 506 भादवि में वांछित अभियुक्ता रीना राय पत्नी अनुज कन्नौजिया निवासी बहलोलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को हाल पता बारीगोड़ा थाना परसुडीह जनपद सिंहभूमि जमशेदपुर झारखण्ड से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.02.2023 को वादी हंसनाथ यादव निवासी हिरनपुर (कमथरी) थाना चिरैयाकोट मऊ द्वारा वाट्सएप काल के माध्यम से रुपये मांगने तथा धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में अनुज कन्नौजिया व उसकी पत्नी के विरुद्ध प्रार्थना दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अवैध शराब करोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 442 शीशी अवैध देशी शराब (बन्टी बबली) तथा 46 केन बियर बरामद, एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.03.2023 को रात्रि में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अस्तुपुरा से फागु सोनकर पुत्र लल्लन सोनकर निवासी अस्तुपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से एक मकान मे फल गोदाम में छुपाकर रखी गयी तीन बोरियो में 442 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बन्टी बबली व एक बोरी में 46 केन बियर (500 एमएल) प्रिमियम थन्डरबोल्ट बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह किराये का मकान है जहा मेरा दोस्त अजय सोनकर और हम लोग यह शराब और बियर मिलकर रखे है तथा मुहल्ले में घूम–घूम कर बचते है जो प्रोफिट होता है उसे आधा–आधा बांट लेते है। यह शराब मेरा दोस्त अजय ही लाकर मुझे देता है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. फागु सोनकर पुत्र लल्लन सोनकर निवासी अस्तुपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. तीन बोरियो में 442 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बन्टी बबली।
2. एक बोरी में 46 केन बियर (500 एमएल) प्रिमियम थन्डरबोल्ट।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 शकील अहमद, का0 रवि पाल, का0 मो0 लइक थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर इनामिया (10 हजार) अभियुक्त व गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.03.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन रोड रामलीला मैदान के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर इनामिया (10 हजार) अभियुक्त ***सत्तार अहमद पुत्र कमरुद्दीन निवासी देईथान थाना कोपागंज मऊ*** के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 85/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

अपराधिक इतिहास सत्तार अहमद–

1. मु0अ0सं0 1112/2010 धारा 401 भादवि थाना कोपागंज।
2. मु0अ0सं0 37/2022 धारा 392,411 भादवि थाना हलधरपुर।
3. मु0अ0सं0 164/22 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली नगर।
4. मु0अ0सं0 187/22 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली नगर।
5. मु0अ0सं0 80/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर।
6. मु0अ0सं0 85/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली नगर।

एक शातिर जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 04.03.2023 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन रोड रामलीला मैदान के पास से शातिर जिलाबदर अपराधी गोपाल साहनी पुत्र सुरेन्द्र साहनी निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 84/23 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एच्छिक ब्यूरों के प्रयास से 05 दंपत्ति साथ साथ रहने को हुवे राजी, 40 मे से 17 मामलों का हुआ निस्तारण–

आज दिनांक 05.03.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार में महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक सम्पन्न हुयी। इस दौरान कुल 40 मामले पेश हुवे जिनमें 17 मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान चिन्ता/संजय, गुंजा/गोविन्द, माया/महेश, खुशबू यादव/अभय, शशिकला/सुबेदार ने एच्छिक ब्यूरों के सदस्यो के प्रयास से आपसी मतभेद भुला कर एक साथ रहने को राजी हो गये।

अन्य मामलों में कुछ अदालत में चलने के कारण तथा कुछ स्वयं प्रार्थिनी की अनुपस्थिति/अरूचि के कारण बन्द की गयी तथा कुछ मामलों को अगली तारिख के लिए रखा गया। एच्छिक ब्यूरों के सदस्यो में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, मौलवी अरशद, उ0नि0 आत्मा सिंह, म0आ0 सोनी सिंह, पुष्पा यादव, प्रीति दूबे उपस्थित रही।